नियम 7 : धारा 13(7) के अधीन, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति

उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के अधीन, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं का प्रदाय, ऐसे माल के सम्बन्ध में प्रदाय की गई सेवाओं के मामले में, जो सेवाओं के प्रदायकर्ता को या सेवाओं के प्रदायकर्ता की ओर से कार्य कर रहे व्यक्ति को या ऐसा व्यक्ति, जो या तो सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रुप में प्रतिनिधित्व करता है या प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य कर रहे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, को प्रदाय की गई ऐसी सेवाओं के मामले में, जिनमें प्राप्तिकर्ता या उसकी ओर से कार्य कर रहे व्यक्ति की वस्तुतः उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है, जहां सेवाओं के प्रदायकर्ता की अवस्थिति या सेवा के प्राप्तिकर्ता का अवस्थिति भारत से बाहर है और जहां ऐसी सेवाएं एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से अधिक में प्रदाय की जाती है, प्रत्येक सम्बन्धित राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में प्राप्त की गई समझी जाएगी और यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सेवाओं को पृथक रुप में संगृहीत करने या उनके मूल्य का अवधारण करने के लिए सेवा के प्रदायकर्ता या सेवाओं की प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में प्रत्येक ऐसे राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को प्रदाय योग्य मूल्य का अनुपात निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :

(i) उसी माल पर प्रदाय की गई सेवाओं के मामलें में, जहां सेवा निष्पादित की जाती है, वहां प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र की सेवा के मूल्य को बराबर विभाजित करके;

(ii) भिन्न–भिन्न मालों पर प्रदाय की गई सेवाओं के मामलें में, प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों में ऐसे माल, जिस पर सेवा निष्पादित की जाती है, के बीजक मूल्य के अनुपात को प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में निष्पादित सेवा के मूल्य के अनुपात के रुप में लेकर;

(iii) व्यष्टियों को प्रदाय की गई सेवाओं के मामले में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखा सिद्धान्तों को लागू करके।

दृष्टांत 1 : कंपनी 'सी' जो कोलकाता में अवस्थित है, तलकर्षण मशीन के परीक्षण की सेवाएं प्रदान कर रही है और मशीन पर परीक्षण सेवा ओडिसा तथा आन्ध्र प्रदेश में की जाती है। प्रदाय का स्थान ओडिसा और आन्ध्र प्रदेश में है तथा ओडिसा और आन्ध्र प्रदेश में सेवा का मूल्य इन दो राज्यों के बीच सेवा के मूल्य को समान रुप से विभाजित करके अभिनिश्चित किया जाएगा।

दृष्टांत 2 : कंपनी 'सी', जो दिल्ली में अवस्थित है, मिस्टर 'एक्स' की दों कारों की सर्विसिंग की सेवा प्रदान कर रही है। एक कार विनिर्माता 'जे' की है और दिल्ली में अवस्थित है तथा उसकी दिल्ली स्थित कार्यशाला द्वारा सर्विस की जाती है। दूसरी कार विनिर्माता 'ए' की है और गुरुग्राम में अवस्थित है तथा गुरुग्राम अवस्थित कार्यशाला द्वारा सर्विस की जाती है। दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और हरियाणा राज्य को क्रमशः प्रदाय योग्य सेवाओं का मूल्य, मूल्य की संगणना कार 'जे' के बीजक मूल्य और कार 'ए' के बीजक मूल्य के अनुपात को सेवा के कुल मूल्य पर लागू करके संगणित किया जाएगा।

दृष्टांत 3 : श्रंगार कलाकार 'एम' को अभिनेता 'ए' को श्रंगार सेवाएं प्रदान करनी है। 'ए' कुछ दृश्यों की मुम्बई में शुटिंग और कुछ दृश्यों की गोवा में शुटिंग कर रहा है। 'एम' मुम्बई और गोवा में श्रंगार सेवा उपलब्ध कराता है। सेवाएं महाराष्ट्र और गोवा में उपलब्ध कराई जाती है तथा महाराष्ट्र और गोवा में सेवाओं का मूल्य साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों को लागू करके अभिनिश्चित किया जाएगा।]